

उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या-12/2023 /409/78-1-2023-05आईटी0/2022
लखनऊ: दिनांक : 11 अप्रैल, 2023

कार्यालय-जाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1829/78-1-2022-05आईटी0/2022 दिनांक 18 नवम्बर 2022 द्वारा नई “उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0 जनित सेवा नीति-2022” जारी की गई है, जो कि अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

2- “उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0 जनित सेवा नीति-2022” के प्रस्तर-7.2 के अन्तर्गत व्यवस्था है कि अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) गठित की जायेगी। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा इस नीति के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन से सम्बन्धित मामलों पर निर्णय लिया जायेगा।

3- उक्त नीति में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0 जनित सेवा नीति-2022 के प्रभावी और सफल कार्यान्वयन से सम्बन्धित मामलों के बारे में निर्णय हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में नीति कार्यान्वयन इकाई (Policy Implementation Unit) का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राज्य कर विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
8	विशेष सचिव, आईटी एवं एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
9	प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
10	प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी।	सदस्य सचिव

- 4- उत्तर प्रदेश में स्थापित आईटी/आईटीईएस इकाइयों हेतु लागू प्रोत्साहनों के लिए अनुशंसा तथा अनुमोदन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी। यह किसी भी कठिनाई/समस्या का सामयिक निवारण प्रदान करेगी तथा आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता की सुविधा प्रदान करेगी। यदि पीआईयू किसी विशिष्ट बिन्दु पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो उसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- 5- नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयों/उत्प्रेरकों/उत्कृष्टता के केन्द्रों को प्रोत्साहन अनुमन्य किये जाने हेतु संस्तुति एवं अनुमोदन प्रदान किये जायेंगे। उनकी शिकायतों का सामयिक निराकरण तथा आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग भी प्रदान किया जायेगा। कठिनाई/समस्या का समाधान यदि नीति कार्यान्वयन इकाई के स्तर पर नहीं हो पाता तो उसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- 6- नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों हेतु विचार के लिए रू0 200.00 करोड़ से कम अथवा समतुल्य निवेश वाले प्रस्ताव, विचार एवं अनुमोदन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। रू0 200.00 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रस्तावों को नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति पर राज्य स्तरीय 'सशक्त समिति' के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा ऐसे निवेश प्रस्ताव सशक्त समिति की अनुशंसा पर राज्य के मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन होंगे।
- 7- प्रोत्साहन संवितरण हेतु रू0 200.00 करोड़ के समतुल्य अथवा कम निवेश वाले प्रकरण लेटर ऑफ कम्फर्ट तथा वास्तविक निवेश के अनुसार विचार एवं अनुमोदन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा रू0 200.00 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रकरण नीति कार्यान्वयन की संस्तुति के पश्चात् सशक्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेंगे।
- 8- यूपीएलसी द्वारा उपरोक्त कार्यकलापों हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कराकर शासन के अनुमोदनोपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

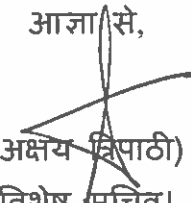

 (नरेन्द्र भूषण)
 प्रमुख सचिव।

संख्या-12/2023 /409(1)/78-1-2023,तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- समिति के समस्त सदस्यगण।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

- 5- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वह प्रकरण में समिति की बैठक आहूत करने एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 6- प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को/श्रीद्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 7- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अक्षय त्रिपाठी)
विशेष सचिव।